

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:2(2)आयो.-1/मूल्यां./2011

जयपुर, दिनांक:- 28 MAR 2018

—:आदेश:-

आयोजना विभाग की आज्ञा क्रमांक: 2(2)आयो.-1/मूल्यां./2011 दि. 26.09.2014 एवं दि. 09.01.2015 द्वारा राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम 1979 के नियम 21 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्यांकन सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2012-13 में सफल होने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर निम्नांकित मूल्यांकन अधिकारियों को मूल्यांकन सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में मूल्यांकन अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए नियत पारिश्रमिक तत्पश्चात (पी.बी.-2) 9300-34800 ग्रेड-पे 4800 (संख्या-14) में अस्थायी तौर पर कार्यग्रहण तिथि से नियुक्त किया गया।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक:एफ.15(1)वित्त(नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 की पालना में निम्नांकित मूल्यांकन अधिकारियों का परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरांत राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, 2017 के तहत मूल्यांकन अधिकारी के पद पर शेड्यूल-II (रूल-6) सेक्शन-'A' के लेवल-12 एवं शेड्यूल-I (पार्ट-'बी') नियम 5(VI) एवं (VII) के अनुसार राशि रु. 44300/- पर पुनर्निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की दिनांक	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरांत सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	डॉ. हरिश चन्द्र शर्मा, मूल्यां. अधि.	29.09.2014	28.09.2016	29.09.2016
2.	डॉ. मोहम्मद रफीक, मूल्यां. अधि.	30.09.2014	29.09.2016	30.09.2016
3.	डॉ. राजवीर सिंह, मूल्यां. अधि.	29.09.2014	28.09.2016	29.09.2016
4.	श्री बाबूलाल मीना, मूल्यां. अधि.	30.09.2014	29.09.2016	30.09.2016
5.	श्री राकेश कुमार मौर्य, मूल्यां. अधि.	30.09.2014	29.09.2016	30.09.2016
6.	श्री भरत राव, मूल्यां. अधि.	12.01.2015	11.01.2017	12.01.2017
7.	डॉ. वोल्गा भटनागर, मूल्यां. अधि.	29.09.2014	28.09.2016	29.09.2016

उक्त अधिकारियों की आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2017 निर्धारित की जाती है। उक्त अधिकारियों के नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं. 5 में अंकित दिनांक से दि. 31.12.2016 तक काल्पनिक लाभ एवं दि. 01.01.2017 से वास्तविक लाभ देय होगा।

— 30 —
संयुक्त शासन सचिव
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज आवश्यक रूप से संबंधित अधिकारी की सेवापुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक(ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को मय अतिरिक्त प्रति के।
3. संबंधित अधिकारी।
4. कम्प्यूटर एनालिस्ट, आयोजना विभाग को अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली।

— 30 —
सहायक शासन सचिव
आयोजना विभाग